F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्यामसिंह वगै0 बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार वगै0

किस्म मुकदमा:—दावा अ.धा. 88, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर:— 212 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
27.12.2023	वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें एवं वादपत्र में वर्णित तथ्यों की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी होकर पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 04-1-2024 को पेश हो। **दिलीप सिंह** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
~~1-1-24~~	~~पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान फरिकेन उपस्थित। पीठा. अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त। मीटिंग में हैं। [illegible] आदेशानुसार [illegible] पेश हो।~~ ~~दिनांक 1-1-24~~	
04.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम पूनियां ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश हुई जिसको शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य वादी में वादी के मुख्य परीक्षण में वादी श्यामसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह व साक्ष्य गवाह में गवाह शलेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकुलाय उभय पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण में अंतिम बहस बहुपक्षीय सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार [illegible] किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पृथा डिक्री [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 04/01/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
212/2023	2023/401	27.12.2023	04.01.2024

उनवान प्रकरण

1. श्यामसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

—— वादी——

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर
2. नाथूसिंह पुत्र प्रहलादसिंह
3. विरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र प्रहलादसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

——प्रतिवादी——

——तरतीबी प्रतिवादीगण——

उपस्थिति :–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।
श्री कानाराम पूनियां एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में विवरण इस प्र[illegible] है [illegible] वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा [illegible] पुराने 365 जिसके नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्टर अवस्थित [illegible] ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर

04/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जिला सीकर राजस्थान है जिस पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चला आ रहे है, किन्तु राजस्व रिकार्ड प्रथम सैटलमेन्ट पूर्व से ही गलत चला आ रहा हैं तथा उक्त भूमि की किस्म भी बंजड–1 वर्तमान में अंकित है जो गलत है। उक्त भूमि के रकबा 0.04 हैक्टर को वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजो एंव वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा काश्त की जाती रही है। पूर्व में उक्त भूमि की खातदेारी वादी, तरतीबी पक्षकारान एंव इसके परिवारजनो के नाम से रही है तथा उक्त भूमि पर वादी एंव तरतीबी पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा भूमि खसरा नम्बर 439 जो कि भूमि खसरा नम्बर 399 के सटाकर अवस्थित है जो कि वादी की खातेदारी की भूमि हैं तथा राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही एंव गफलत से वादी की भूमि पुराने खसरा नम्बर 365 में से भूमि खसरा नम्बर 399 बजड़ अंकित कर दी जो कि दुरूस्तनीय है। उपरोक्त उल्लेखित नवीन भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्टर पर पहले पिता वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण व इसके बाद वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है। अर्थात वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर वक्त बुजुर्गान व प्रथम सैटलमेन्ट से पूर्व से तन्हा रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त उल्लेखित उक्त भूमि को वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से तन्हा रूप से बिना किसी बाधा व रोक टोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काश्त कर रहा है। इस कारण उक्त लम्बे कब्जे के आधार पर विपरीत कब्जा के आधार पर भी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण कानूनन उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुके है ओर उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण कानूनन अधिकारी है। अर्थात उक्त घोषणा करवाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि खसरा नम्बर 399 के रकबा 0.04 हैक्टर की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। यहा यह भी लिखा जाना न्यायोचित है कि समय–समय पर प्रतिवादीगण ने वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को 91 एल.आर.एक्ट. के नोटिस भी जारी किये गये है तथा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण ने समय–समय पर लगान भी जमा कराया है जिनकी रसीदे वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के पास है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण व उसके पूर्वजो का कब्जा राजस्व विभाग के रिकार्ड में भी इन्द्राज हैं जो भी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण का पुराना कब्जा साबित करता है। उक्त भूमि से दीगर का कोई ताल्लुक किसी किश्म का नही है तथा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमि की खातेदारी अपने नाम से कराने का अधिकारी हैं। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान अर्थात पिता/दादा के समय से लगातार इस भूमि पर काबिज काश्त राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व से से काबिज होने से उक्त भूमि बाबत खातेदारी अधिकारो की घो[illegible]ने के कानूनी अधिकारी है। अर्थात वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने उक्त अधिकारो की घोषणा बाबत यह दावा प्रस्तुत कर रहे है, क्योंकि उक्त भूमि पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त है। अर्थात इस भूमि पर वादी एंव तरतीबी प्रति[illegible]गण को कानूनन खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

04/01/24
दिली
कलक्टर ास्ट ट्रैक
माधोपुर (नीम ना)

अधिकार प्राप्त हो चुके है ओर उक्त अधिकारो की घोषणा किया जाना अति आवश्यक एंव न्यायोचित है क्योंकि उक्त खातेदारी अधिकारो की घोषणा के अभाव में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने विधिक अधिकारो से वंचित हो रहे है। जिसके बाबत वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को सख्त हकतल्फी है तथा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त घोषणा के अभाव में वक्त बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही कृषि भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहे है तथा समय–समय पर भू–धारको को मिलने वाली राजकीय सहायताओ से भी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वंचित हो रहे है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण कानूनन विपरित कब्जा के सिद्वान्त पर भी इस 0.04 हैक्टर भूमि का कानूनन खातेदार काश्तकार हो चुके हैं, केवल मात्र राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त भूमि की गलत रूप से चली आ रही किस्म बंजड़ 1 को दुरूस्त करवाना चाहते है। इस कारण दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण ने नियमन हेतु भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 को बार–बार निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के उक्त निवेदन की ओर कोई ध्यान नही दिया गया उल्टा दिनांक 10.12.2023 को प्रतिवादी नम्बर 1 ने धमकी दी हैं कि उक्त भूमि वे अपने चहेते दीगर व्यक्ति के नाम नियमन करेगें। इस कारण भी वादकारण उत्पन्न होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 राजस्थान सरकार व उसके प्रतिनिधि हैं एंव रिकार्ड संधारण करने वाले अधिकारी, कर्मचारी हैं। जिनके विरूद्व दावा पेश करने हेतु 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं इस हेतु वादी ने माननीय न्यायालय की अनुमति लेकर धारा 80 (2) सी.पी.सी. की अनुमति के बाद दावा पेश किया हैं तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 3 वर्तमान में उपस्थित नही होने से उन्हे तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है। अतः वादी ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि घोषणा इस आशय की जावे कि खसरा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर लगान कायम किया जावें तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को आदेश दिया जावें कि वे उक्त डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें। प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वादपत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर में वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक [illegible] तलब किये जाने के आदेश दिये गये व प्रतिवादी नम्बर 1 को तहरीर जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी

04/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय मे पेश की गयी इस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 को सम्मन जारी नही किये गये। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम पूनियां एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह/साक्ष्य में शैलेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये जो शामिल मिशल किये गये। प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी तहरीर आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक भू.अ./24/20 दिनांक 04.01.2024 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पालना रिपोर्ट पेश कर दिये जाने व साक्ष्य वादी/गवाहान के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदी, पुरानी जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल, नया व पुराना नक्शा, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी/गवाह के मुख्य परीक्षण में पेश लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड भूमि खसरा नम्बर पुराने 365 जिसके नवीन खसरा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त अनुसार वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना प्रकट होता है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

––:: क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से [illegible] बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम हरदासकाबास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड के भूमि [illegible]रा नम्बर 399 रकबा 0.04 हैक्टर को दुरूस्त किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 को खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
04/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

04/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:44 IST
Reason: SelfAttested